FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

कमलदीप कौर बनाम हरप्रीत सिंह आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 03 सन् 2021

तामिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.03.2021	प्रार्थी कमलदीप कौर पुत्री सुरजीत सिंह पत्नि सतपाल सिंह जटसिख निवासी चक 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 10 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 9/7 के मु.न. 38, 49 व इसी चक के खाता संख्या 73/38 के मुरब्बा नम्बर 26, 37, 49 के सम्बन्ध में यदि अप्रार्थीगण या अन्य किसी भी काश्तकार द्वारा कोई वाद, स्थगन प्रार्थना पत्र या पुलिस प्रार्थना पत्र अथवा 145 सीआरपीसी का परिवाद प्रस्तुत किया जाता है। तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे। S.D.O.	
२९/7/२१	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १४८(क) CPC को ९० दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इसमें कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १४८(क) CPC इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो	